न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **05/2017 प्रा.पत्र रसद**

राज्य सरकार जरिये पिन्की भाटी, प्रवर्तन निरीक्षक, कोटड़ा, जिला उदयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मणलाल पारगी उचित मुल्य दुकानदार लूंक तहसील कोटड़ा
2. श्री भीमा पिता अणदा पारगी, नि. राजपुर पंचायत गुर्रा तहसील कोटड़ा (वाहन चालक)
3. श्री विकेश पिता सवजी निवासी लूंक तहसील कोटड़ा
4. श्री वनराज पिता सुन्दरलाल निवासी लूंक तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर

.....अप्रार्थीगण

5. श्री नटवर भाई सोलंकी पिता तेजा भाई सोलंकी, निवासी बाहेतिया, तालुका खेड़ब्रम्हा, जिला साबरकांटा, (गुजरात)

.....वाहन मालिक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए (1)(2)
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री प्रद्युमनसिंह राणावत, पैरोकार सरकार
श्री जगदीश चन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता वाहन स्वामि

निर्णय

दिनांक– 12.09.17

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, द्वितीय उदयपुर को कोटड़ा पुलिस थानाधिकारी द्वारा दिनांक 09.05.15 को सूचना मिली की कोटड़ा तहसील में पंचायत सड़ा में लूंक उचित मूल्य दुकान से लेवी चीनी को जीप में भरकर अवैध परिवहन हेतु ले जाते हुए ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया हैं। जिला रसद अधिकारी प्रथम, उदयपुर के निर्देशानुसार गठित जॉच दल द्वारा दिनांक 10.05.15 को कोटड़ा थाने पहुॅच विधिवत जॉच कर जॉच दल द्वारा उक्त जीप वाहन संख्या जी.जे. 9 एम 1513 में सफेद प्लास्टिक

के छः कट्टो में शक्कर लादकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत जब्त कर राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.09.15 प्रकरण संख्या 24/15 प्रार्थना पत्र रसद में छः कट्टो में शक्कर लदी इस वाहन को शक्कर मय वाहन के जब्त किये जाने के आदेश पारित किये गये।

वाहन स्वामि नटवार भाई पिता तेजा भाई सोलंकी, निवासी बाहेतिया द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.15 से क्षुब्ध होकर अपील माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.04.17 प्रकरण संख्या 91/16 दांडिक अपील अनवानी नटवर भाई बनाम राज्य में यह आदेश पारित किया गया कि ''अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय में प्रतिप्रेषित की जाती है कि वाहन संख्या जी.जे. 9 एम 1513 को राज्यसात किये जाने के संबंध में अपीलार्थी नटवर भाई को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उक्त वाहन को राज्यसात किये जाने के संबंध में नये सीरे से आदेश पारित किया जावें।''

प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वाहन मालिक नटवर भाई सोलंकी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। अपने जवाब में निवेदन किया है कि थानाधिकारी कोटड़ा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान पेश किया हुआ हैं। जो विचाराधीन हैं। प्रकरण के विचारण के दौरान किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी अवधारणा किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। जब तक कोई भी अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण साबित नहीं होता हैं तब तक विधि का सिद्धांत है कि सभी निर्दोष हैं। न्यायालय के निस्तारण के पूर्व ही प्रार्थी की जीप को राज्यसात किये जाने के आदेश न्यायसंगत नहीं हैं। प्रार्थी का वाहन निर्दोष रूप से जब्त किया गया हैं। प्रार्थी के वाहन को जहॉ भी आवश्यकता होगी वहा प्रस्तुत करने को तैयार हैं। प्रकरण के निस्तारण तक बन्द पत्र पर सिपुर्दगी पर छोड़ा जाना

न्यायोचित हैं। पुलिस ने वाहन को परिवहन करते हुए नहीं पकड़ा है नाही चालक को मौके से पकड़ा हैं। न्यायालय के निर्णय के पहले जीप के संबंध में कोई भी उपधारणा किया जाना संभव नहीं हैं। वाहन जीप का अनुसंधान पुर्ण हो चुका हैं। वाहन पुलिस थाने के खुले अहाते में पड़ा हुआ हैं। जिसके खराब होने की पूर्ण संभावना हैं। इस कारण प्रकरण के निस्तारण तक वाहन जीप संख्या जीजे 9 एम 1513 को बन्द पत्र पर सिपुर्दगी पर छोड़ा जाना न्यायोचित हैं। अतः जवाब स्वीकार करना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि जब्त वाहन में जो लेवी चीनी के कट्टे भरे हुए थे वह पंचायत सड़ा के उचित मुल्य की दुकान लूंक के थे। लेवी चीनी को जीप में भरकर अवैध परिवहन कर ले जाते हुए ग्रामीणो द्वारा पकड़ा गया। जिससे प्रथम दृष्ट्या चीनी के अवैध परिवहन करने में विपक्षीयो द्वारा जब्त वाहन का उपयोग किया गया। नियमानुसार जब्त सामग्री के साथ में ऐसे वाहन जिससे अवैध रूप से नियंत्रित खाद्य सामग्री की कालाबाजारी किये जाने हेतु अवैध परिवहन किया जाना पाया जाता है उस वाहन को भी जब्त किये जाने के प्रावधान हैं। न्यायालय द्वारा पूर्व में इसी अनुसरण में कार्यवाही की गई हैं।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5 द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगणो के विरूद्ध पुलिस थाना कोटड़ा द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये जो विचाराधीन हैं। जब तक न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाता है तब तक विधि का सिद्धांत है कि सभी अभियुक्त निर्दोष हैं। प्रार्थी की जीप के संबंध में राज्यसात कर दिये जाने का आदेश पारित कर दिया जाना विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य हैं। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसमें लम्बा समय लगने की सम्भावना हैं। यदि प्रकरण में वाहन की आवश्यकता होगी तो प्राथी/विपक्षी वाहन को पुनः प्रस्तुत करने को तैयार हैं। अतः

प्रार्थी/विपक्षी का जब्त वाहन बन्द पत्र पर प्रार्थी/विपक्षी को लौटाया जावें। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। न्यायालय का निर्णय नहीं होता है तब तक उक्त घटना व जीप के संबंध में कोई भी उपधारणा किया जाना संभव नहीं हैं। प्रकरण में अनुसंधान पुर्ण हो चुका हैं। जब्त वाहन थाना परिसर में खुले अहाते में पड़ा हैं। जिसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना हैं। अतः विपक्षी की जीप नम्बर जी.जे. 9 एम 1513 को बन्द पत्र पर सिपुर्दगी पर प्राथी/विपक्षी को प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करें। अपनी बहस की ताईद में **2009 Crl.L.J. Page 95, 2007 Crl.L.J. Page 3722, 2007 Cr.L.R. [SC] Page 410** के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा 6ए के प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि उचित मुल्य दुकान लूंक के बाहर वाहन संख्या जी.जे. 9 एम 1513 में सफेद प्लास्टिक के छः कट्टो में शक्कर लदी हुई ग्रामीणो द्वारा पकड़ी गई। जिसे एस आई श्री गिरधारीलाल द्वारा डिटेन कर थाने लाया गया। वाहन चालक के बारे में पूछने पर चालक वहॉ से नदारद मिला। जिसका नाम भीमा पिता अणदा पारगी बताया गया। जीप में लदे कट्टो पर अमरावती एग्रो लिमिटेड एपी पिपली बारामती लिखा हुआ पाया गया एवं गवर्मेन्ट ऑफ राजस्थान सब्सीडाईज शुगर फोर एफपीएस राजस्थान की हरे रंग से सील लगी पायी गई जो प्रथम दृष्ट्या सिद्ध करती है कि जीप लेवी चीनी को अवैध रूप से कालाबाजारी करने एवं अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु डिलर का पूर्ण सहयोग जीप द्वारा किया गया। जिससे जीप का भी उक्त कृत्य में संलिप्त होना स्पष्ट पाया जाता हैं। उल्लेखनीय है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए (1) के तहत "the Collector [may, if he thinks it expedient so to do] [my order confiscation of - (C)

any animal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying such essential commodity

[Provided further that in the case of any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for the carriage of goods or passengers for hire, the owner of such animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be given an option to pay, in lieu of its confiscation, a fine not exceeding the market price at the date of seizure of the essential commodity]

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर जब्त वाहन संख्या जीजे 9 एम 1513 को अधिहरण (Confiscation) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जब्त वाहन संबंधी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(1)(सी) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार वाहन की बाजार कीमत वाहन मालिक को जमा करवाने का प्रावधान होने से यदि वाहन स्वामी द्वारा जब्त वाहन के बदले 50,000/– रूपये की बैंक गारन्टी एवं इतनी ही राशि के जमानत मुचलके प्रस्तुत किये जाते है तो जब्त वाहन उसके पंजीकृत वाहन मालिक को बैंक गारन्टी एवं उसके निजी मुचलके के आधार पर सिपुर्द किया जावें। अन्यथा वाहन का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करायी जावें।

आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) उदयपुर तथा थानाधिकारी कोटड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर